कालिका प्रसाद,
सचिव ।

अर्द्ध शा0 प0 सं0 13/15-91/का-1/1993

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
लखनऊ, दिनांक : 20 नवम्बर, 1993 ।

प्रिय महोदय,

राज्याधीन पदों पर भर्ती हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्बन्धित पद की विभागीय सेवा नियमावली में समुचित प्रावधान किये जाते हैं । नियमों में स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसरण के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से कातपय जिज्ञासाएं की जाती हैं । इस विषय पर सम्भावित जिज्ञासाओं/त्रुटियों के निवारण के उद्देश्य से पार्श्वांकित अर्द्धशासकीय पत्रों में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

अर्द्धशा0प0सं0 555/का-1/1993
दिनांक 15 अप्रैल, 1993
अर्द्धशा0 प0 सं0 13/15/91-का-1/1993
दिनांक 20 अगस्त, 1993

2- उपरोक्त के क्रम में चयन की कार्यवाही से संबंधित निम्नलिखित कतिपय अन्य बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है:--

(1) शासन द्वारा सेवा नियमावलियों के स्थान पर प्रचलित समस्त कार्यकारी आदेश पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके हैं और वर्तमान में सेवा नियमावलियों के अभाव में चयनों पर पूर्णत: रोक लगी है । अत: चयन की कार्यवाही उस समय तक न की जाय जब तक कि स ंबंधित पद के लिए सेवा नियमावली लागू न हो ।

(2) ज्येष्ठता आदि के अनिर्णीत प्रकरण विद्यमान होने पर चयन समिति की बैठक आहूत करने के विभाग द्वारा इन विषयों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाये और जब इन सभी विषयों पर अन्तिम रूप से प्रशासनिक मत निर्धारित हो जाय व अन्तिम निर्णय सक्षम स्तर से हो जाय तभी चयन समिति की बैठक आहूत की जाय ।

(3) कतिपय मामलो में मा0 न्यायालय/अधिकरणों द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के पदोन्नति के विषय में विचार करने के आदेश पारित कर दिये जाते हैं । पदोन्नति के प्रश्न पर विचार करने का प्रथम चरण यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संगत सेवा नियमों तथा मा0 न्यायालय/अधिकरण के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित सरकारी सेवक क्या वास्तव में पदोन्नति की निर्धारित पात्रतायें पूरी करता है और क्या उसकी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किया जाना अपेक्षित है । यदि विभाग द्वारा विचारोपरान्त यह पाया जाय कि संबंधित सरकारी सेवक उस तिथि से पदोन्नति का पात्र नहीं है, जिस तिथि से उसके द्वारा पदोन्नति की मांग की गयी है तो चयन समिति की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा । चयन समिति का कार्य मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रकरणों का परीक्षण करन और उन पर अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त करना नहीं है । चयन समिति, प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/सूचनाओं के आधार पर पात्रता सूची में सम्मिलित सरकारी सेवकों की उपयुक्तता के प्रश्न पर अपनी संस्तुतियां देने मात्र से ही संबंधित है । अत: जब भली-भांति विचारोपरान्त यह सुनिश्चित हो जाये कि किसी सरकारी सेवक को पदोन्नति प्रदान किये जाने का औचित्य है, तभी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक आहत की जाये।

(4) चयन का प्रस्ताव करने वाले विभाग का यह दायित्व है कि वह चयन समिति के लिए सम्पूर्ण संगत सूचनायें अभिलेख सही रूप में प्रस्तुत करे । अपूर्ण तथा गलत सूचनाओं/ अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न चयन के परिणाम दूषित हो सकते हैं । अत: चयन समिति के लिए सूचनायें तैयार करते समय प्रत्येक व अभिलेख के संबंध में विभाग को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतकी जा रही समस्त सूचनायें अन्तिम हैं (अर्थात् उनमें बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ) व अद्यतन तथा पूर्ण हैं ।

(5) पदोन्नति के चयनों में चयन का मापदण्ड "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" होने की दशा में संबंधित चयन वर्ष की रिक्तियों को कोटेवार विभक्त कर प्रत्येक कोटे की रिक्तियों के नियत गुणांक में संबंधित वर्ग के पात्र सरकारी सेवकों की पृथक-पृथक तीन पात्रता सूचियां (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए तैयार की जाय और प्रत्येक सूची से संबंधित कोटे की रिक्तियों की सीमा तक उपयुक्त पाये गये पात्र सरकारी सेवकों को उनकी पारस्परिक ज्येष्ठतानुसार संस्तुत किया जाय ।

(6) यदि किसी चयन वर्ष को प्रथम जुलाई को पदोन्नति की पात्रता धारण करने वाले पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों या संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता पूरी करने वाले सरकारी सेवकों में से नियमानुसार पात्रता सूची बनाकर चयन सम्पन्न किये जाने के बावजूद उपयुक्त सरकारी सेवक समुचित संख्या में उपलब्ध न हो, जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियों को अग्रेनीत किया जाय तो अग्रेनीत की गयी ऐसी रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष की रिक्तियों में जोड़कर रिक्तियों की संख्या के नियत गुणांक में पात्रता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जाये ।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक को किसी पद पर किसी भूतलक्षी तिथि से नोशनल पदोन्नति दे दी गयी हो तो उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि से उक्त पद पर कार्यरत परिकल्पित करते हुए उसकी अहंकारी सेवा की गणना की जायगी और यदि इस बीच उसके कनिष्ठ पदोन्नत हो चुके हैं तो इस प्रकार गणना के आधार पर अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तिथि से उच्च पद/पदों पर पदोन्नति का पात्र हो जाने की दशा में उसकी पदोन्नति पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा और उसकी पदोन्नति पर विचार हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्तता के विषय में वही मानक अपनाये जायेंगे, जो उसके कनिष्ठों की पदोन्नति के समय चयन समिति द्वारा अपनाये गये थे ।

(8) यदि कोई रिक्त स्थानापन्न/तदर्थ पदोन्नति के आधार पर भरी हुई है तो नियमित चयन के प्रयोजन से उसे "रिक्त" माना जायेगा अर्थात् ऐसी रिक्ति को भी संबन्धित चयन वर्ष की अन्य रिक्तियों में जोड़कर रिक्तियों की संख्या के नियत गुणांक में पात्रता सूची तैयार कर उन समस्त रिक्तियों के लिये नियमित पदोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा संस्तुतियां की जायेंगी।

(9) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानापन्न/तदर्थ पदोन्नति के आधार पर किसी पद पर कार्यरत है तो उस पद पर नियमित पदोन्नति के चयन के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय ऐसे तदर्थ स्थानापन्न रूप से पदोन्नत सरकारी सेवक के नाम केवल इस आधार पर नहीं छोड़े जायेंगे वे उस पद पर पहले से स्थानापन्न/तदर्थ रूप से पदोन्नत किये जा चुके हैं ।

(10) पदोन्नति के चयनों में चयन का मापदण्ड योग्यता (मेरिट) होने की दशा में एक चयन वर्ष की समस्त रिक्तियों के लिए नियत गुणांक से एकल पात्रता सूची बनायी जाती है।उक्त एकल पात्रता सूची में सम्मिलित सभी सरकारी सेवकों को चयन समिति द्वारा "अति-उत्तम" "उत्तम" और "अनुपयुक्त" श्रेणी में वर्गीकृत करने की नीति है ऐसे चयन के आधार पर, यदि मात्र सामान्य वर्ग की रिक्तियों को सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों से भरा जाना हो अर्थात् कोई आरक्षण न हो तो, पात्रता सूची के सभी सरकारी सेवकों के वर्गीकरण को देखते हुए सर्वप्रथम "अति-उत्तम" श्रेणी के सरकारी सेवकों को ही चयनित किया जाये अर्थात् "उत्तम" श्रेणी के सरकारी सेवक को चयनित करने की आवश्यकता उसी समय उत्पन्न होगी जब अपेक्षित संख्या में "अति-उत्तम" में वर्गीकृत सरकारी सेवक उपलब्ध न हों । परन्तु चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुतियां चयनित सरकारी सेवकों की पारस्परिक जेष्ठतानुसार की जायेगी। (कृपया परिशिष्ट भी देखें)

(11) यदि योग्यता के मापदण्ड पर होने वाले चयनों में आरक्षित वर्ग की रिक्तियां भी हों, तो उस दशा में आरक्षित वर्ग के सरकारी सेवक को "उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत होने पर भी आरक्षित रिक्तियों के कोटे की सीमा तक चयनित कर लेना चाहिए, भले ही सामान्य वर्ग के अति-उत्तम श्रेणी में वर्गीकृत सरकारी सेवक सामान्य वर्ग की रिक्तियों की सीमा तक चयनित न किये जा सकें अर्थात् ऐसे चयनों में आरक्षित कोटे की रिक्तियों की सीमा तक आरक्षित वर्ग के सरकारी सेवकों को, "अनुपयुक्त" श्रेणी में वर्गीकृत सरकारी सेवकों को छोड़कर चुन लिया जाय (कृपया परिशिष्ट भी देखें) ।

(12) यदि एक से अधिक चयन वर्षों की रिक्तियों के लिए चयन प्रस्तावित हो तो पात्रता सूची विषयक नियमों के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूची तैयार की जाय।

(13) उपरोक्तानुसार एक से अधिक चयन वर्षों के लिए होने वाले चयन में संबंधित चयन वर्ष की पात्रता सूची के कार्मिकों के मूल्यांकन हेतु केवल उसी अवधि तक अभिलेखों/वार्षिक प्रविष्टियों को विचार में लिया जायगा, जिस अवधि तक के अभिलेख/वार्षिक प्रविष्टि आदि सम्बन्धित चयन वर्ष हेतु समय से चयन होने पर चयन समिति के समक्ष रखे जाते। उदाहरणार्थ यदि वर्ष 1993 में चयन वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 की रिक्तियों के लिए चयन प्रस्तावित है, तो वर्ष 1990-91 की रिक्तियों हेतु पात्र कार्मिकों के मूल्यांकन के लिए वर्ष 1990-91 तक की अवधि से सम्बन्धित/अभिलेखों/चरित्र पंजी आदि को ही विचार में लिया जाय, परन्तु जहां तक विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही/प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही/अभियोजन की कार्यवाही अथवा निलम्बन आदि का प्रश्न है यदि चयन समिति की बैठक के दिनांक तक इस विषय में कोई कार्यवाही/निर्णय हो चुका है, तो चाहे किसी भी अवधि से संबंधित हो, मुहरबन्द लिफाफे की प्रक्रिया विषयक शासन के विद्यमान आदेशों (वर्तमान में कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 30-11-1983) का अनुपालन किया जाय।

3- चयन समितियों की बैठक करते समय कई अवसरों पर यह भी पाया गया है कि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत ब्राडशीट में चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां विशेषकर श्रेणी (ग्रेडिंग) को सही ढंग से परिलक्षित नहीं किया गया तथा कई मामलों में ब्राडशीट में ग्रेडिंग पर सफेदा लगाकर बाद में ठीक किया गया इससे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के प्रति अनावश्यक रूप से संदेह उत्पन्न होता है वह चयन समिति को, ऐसी ब्राडशीट का मूल चरित्र पंजियों के साथ मिलान करने व पात्रता सूची के कार्मिकों का मूल्यांकन करने में असुविधा होती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ब्राडशीट पर एक प्रमाण-पत्र इस आशय का दिया जाय कि किस कार्मिक ने इस ब्राडशीट को तैयार किया और किस अधिकारी द्वारा ब्राडशीट की चेकिंग की गयी। प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि तैयार की गयी ब्राडशीट की मूल चरित्र पंजिकाओं से शत-प्रतिशत चेकिंग करा ली जाये और सही ढंग से (ग्रेड श्रेणी) अंकित की जाय। ब्राडशीट में चेकिंग के समय यदि कोई त्रुटि पायी जाये तो उसे सफेदा लगाकर ठीक नहीं किया जाय। बल्कि उसे काटकर दोबारा लिखा जाय और उस पर सम्बन्धित अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर करा लिये जायें। संक्षेप में यह प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा कि ब्राडशीट चरित्र पंजिकाओं के अनुसार सही ढंग से बनायी गयी है और पात्रता की श्रेणी में आने वाले किसी प्राधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है तो उसका स्पष्ट अंकन अद्यावधिक स्थिति दर्शाते हुये ब्राडशीट में किया जाय। इसी तरह न्यायालय द्वारा संबंधित कार्मिक के बारे में किसी प्रविष्टि अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया हो तो उसका भी सही अंकन ब्राडशीट में किया जाय।

4-कृपया पदोन्नति हेतु आयोजित चयन के अवसर पर उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टि में रखा जाये।

भवनिष्ठ,

कालिका प्रसाद।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 13-1591/का-1/1993, तद् दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं पथ-प्रदर्शनार्थ प्रेषित है:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।

2--समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

3--सचिवालय के समस्त अनभाग।

आज्ञा से,

डा०जी०डी० माहेश्वरी,

विशेष सचिव।

परिशिष्ट

प्रस्तर-2-(10)-के साथ पठित दृष्टांत:--यदि 4 सामान्य वर्ग की रिक्तियों के लिये 12 पात्र सरकारी सेवकों की पात्रता सूची में चयन के अवसर पर चयन समिति ने नीचे अंकित तालिका के क्रमांक-2 के अनुसार वर्गीकरण किया हो तो चयन समिति की संस्तुति क्रमांक--3 के अनुसार होगी:—

उदाहरण संख्या--1

पात्रता सूची में क्रमांक	चयन समिति द्वारा वर्गीकरण/चयन क्रम-संख्या (कोष्ठक में)	संस्तुति (ज्येष्ठतानुसार रि-अरेंज करने के बाद)
1	2	3
1 (सामान्य वर्ग)	उत्तम	
2 ,,	उत्तम	
3 ,,	अति-उत्तम--(1)	प्रथम संस्तुत कार्मिक
4 ,,	अति-उत्तम---(2)	दूसरे संस्तुत कार्मिक
5 ,,	अति-उत्तम--(3)	तीसरे संस्तुत कार्मिक
6 ,,	अनुपयुक्त	
7 ,,	उत्तम	
8 ,,	अति-उत्तम--(4)	चौथे संस्तुत कार्मिक
9 ,,	अति-उत्तम	
10 ,,	अति-उत्तम	
11 ,,	अति-उत्तम	
12 ,,	अति-उत्तम	

उदाहरण संख्या-2

पात्रता सूची में क्रमांक	चयन समिति द्वारा वर्गीकरण/चयन क्रम-संख्या (कोष्ठक में)	संस्तुत (ज्येष्ठतानुसार रि-अरेंज करने के बाद)
1	2	3
1 (सामान्य वर्ग)	अति-उत्तम--(1)	प्रथम संस्तुत कार्मिक
2 ,,	अनुपयुक्त	
3 ,,	अति-उत्तम---(2)	दूसरे संस्तुत कार्मिक
4 ,,	उत्तम (4)	तीसरे संस्तुत कार्मिक
5 ,,	उत्तम	
6 ,,	उत्तम	
7 ,,	उत्तम	
8 ,,	अनुपयुक्त	
9 ,,	अति-उत्तम-- (3)	चौथे संस्तुत कार्मिक
10 ,,	उत्तम	
11 ,,	उत्तम	
12 ,,	उत्तम	

प्रस्तर-2 (11) के साथ पठित दृष्टान्त:--एक चयन वर्ष की 7 रिक्तियों के लिए (जिसमें दो आरक्षित कोटे की हैं) नियमानुसार रिक्तियों के तीन गुना अर्थात् 21 पात्र सरकारी सेवकों की पात्रता सूची व अन्य अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। यदि चयन समिति द्वारा किया गया वर्गीकरण नीचे अंकित तालिका के क्रमांक-2 के अनुसार हो तो संस्तुतियां क्रमांक-3 के अनुसार होंगी:--

पात्रता-सूची में क्रमांक	चयन समिति द्वारा वर्गीकरण/चयन क्रम-संख्या (कोष्ठक में)	संस्तुति (ज्येष्ठतानुसार रि-अरेंज करने के बाद)
1	2	3
1 (सामान्य वर्ग)	उत्तम	
2 ,,	उत्तम	
3 ,,	अति-उत्तम-(1)	प्रथम संस्तुत कार्मिक
4 ,,	अति उत्तम-(2)	दूसरे संस्तुत कार्मिक
5 ,,	अति-उत्तम--(3)	तीसरे संस्तुत कार्मिक
6 ,,	अनुपयुक्त	
7 ,,	उत्तम	
8 ,,	अति-उत्तम--(4)	चौथे संस्तुत कार्मिक
9 ,,	अति-उत्तम-(5)	पांचवें संस्तुत कार्मिक
10 ,,	अति-उत्तम	
11 ,,	अति-उत्तम	
12 ,,	अति-उत्तम	
13 ,,	उत्तम	
14 ,,	उत्तम	
15 ,,	अति-उत्तम	
16 ,,	अति-उत्तम	
17 ,,	उत्तम	
18 ,,	उत्तम	
19 ,,	अति-उत्तम	
20 (अनुसूचित जाति)	उत्तम--(6)	छठे संस्तुत कार्मिक
21 ,,	उत्तम--(7)	सातवें संस्तुत कार्मिक

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 17 सा0नियुक्ति--6-6-97-(510)-1997--2,000-(पत्रिका)।